

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ—4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2023—24/

दिनांक :

—:: आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प. 11(1)शिक्षा—1/ब.घो.सं. 11/2022—23/2022 जयपुर, दिनांक : 01.09.2022 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022—23 के घोषणा संख्या 28(3) के अनुसरण में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित निम्नांकित 02 राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यू—डाईस कोड	क्रमोन्नत किए जाने वाले विद्यालय का नाम
1	ALWAR	BANSUR	8060908801	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL INDRANDA (496344)
2	ALWAR	BANSUR	8060909901	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KALYANPURA (499742)

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय—1) विभाग की आई.डी. संख्या 102204812 दिनांक 31.08.2022 के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्तें :—

- विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2022—23 से प्रारंभ होगा।
- स्वीकृति के वर्ष हिन्दी माध्यम में कक्षा 09, 10 को एक साथ प्रारंभ किया जावेगा एवम् आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा—11 एवं 12 प्रारम्भ की जा सकेंगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
- राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड—IIA को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड—IIA लेवल—1 व लेवल—2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड—IIA लेवल—1 व लेवल—2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.09 15:20:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4460363



9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व **विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-ड्राईस कोड** आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एम.पी. एल.ए. डी, एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।
13. उक्त विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरण आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/म.गां एवं गुण/प्रस्ताव/2022-23/49 दिनांक : 12.08.2022 में अंकित शर्तें यथावत रहेंगी।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2023-24/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर।
12. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक, अलवर।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, बानसूर।
14. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
15. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.09 15:20:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4460363

